



Helpline

1064



94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- जैतारण, पाली में जोधपुर डिस्कॉम का अधिशाषी अभियन्ता 25 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 10 सितम्बर/ ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की जोधपुर ग्रामीण इकाई द्वारा आज जैतारण, पाली में कार्यवाही करते हुये महेन्द्र कुमार मीणा, अधिशाषी अभियन्ता, वृत-जैतारण, जोधपुर डिस्कॉम, जिला पाली को परिवादी से 25 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जोधपुर ग्रामीण इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके आवासीय मकान के नये विद्युत कनेक्शन का डिमांड नोटिस जारी करने की एवज में महेन्द्र कुमार मीणा, अधिशाषी अभियन्ता, वृत-जैतारण, जोधपुर डिस्कॉम, जिला पाली द्वारा 25 हजार रुपये की रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की जोधपुर ग्रामीण इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महावीर भोपाल सिंह लखावत के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री अमराराम खोखर एवं उनकी टीम द्वारा ट्रैप कार्यवाही करते हुये महेन्द्र कुमार मीणा, पुत्र श्री पांचूलाल मीणा निवासी सी-17, आकाशनगर, बोरखेड़ा, जिला कोटा हाल अधिशाषी अभियन्ता, वृत-जैतारण, जोधपुर डिस्कॉम, जिला पाली को परिवादी से 25 हजार रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उल्लेखनीय है कि ट्रैप कार्यवाही के दौरान आरोपी द्वारा 19 हजार रुपये रिश्वत राशि में से 500 रुपये परिवादी को वापस लौटा दिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं WhatsApp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।